A

बिहार सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
(सामाजिक सुरक्षा निदेशालय)

अधिसूचना

एस0 ओ0 पटना, दिनांक

बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन अधिनियम, 1976, अधिनियम 19/76) की धारा - 13 को उप धारा (3) के साथ पठित उप धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके संबंध में पूर्व में निर्गत सभी आदेशों का अवक्रमण करते हुए, बिहार राज्यपाल राज्य के सभी अनुमण्डलों के लिए अनुमंडल स्तरीय निगरानी समितियॉ निम्नलिखित रूप में गठित करते है :-

1.	अनुमंडल मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
2.	अनुमंडल में रहनेवाले अनुसूचित जाति और / या अनुसूचित जनजाति के तोन व्यक्ति जिनका मनोनयन अनुमंडल मजिस्ट्रेट करेगे	सदस्य
3.	अनुमंडल में रहनेवाले - 2 सामाजिक कार्यकर्त्ता जिनका मनोनयन अनुमंडल मजिस्ट्रेट करेगें	सदस्य
7.	ग्रामीण विकास से सम्बद्ध अनुमंडल को सरकारी या गैर सरकारी ऐजेंशियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य जिनकी संख्या - 3 से अधिक होगी जिनका मनोनयन जिला मजिस्ट्रेट करेगें ।	सदस्य
8.	केन्द्रीय सहकारिता बैंक या ग्रामोण बैंक या वाणिज्यक बैंक का एक प्रतिनिधि जिसका मनोनयन अनुमंडल मजिस्ट्रेट करेगें	सदस्य
9.	अनुमंडल में भूमि सुधार के प्रभारी उप समाहर्त्ता	सदस्य सचिव

2. निगरानी समिति अपने कार्य की प्रक्रिया स्वयं नियमित करेगें और आवश्यकतानुसार सहायता अनुमण्डल मजिस्ट्रेट सुलभ करायेगें ।

3. निगरानी समिति के कर्त्तव्य :-

(क) उपर्युक्त अधिनियम के उपबन्धो को ठीक से लागू करना सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों तथा की जानेवाली कार्रवाईयों के संबंध में अनुमण्डल मजिस्ट्रेट को परामर्श देना,

(ख) उक्त बंधक मजदूरों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास के लिए उपबंध करना,

(ग) उक्त बंधक मजदूरों को प्रयाप्त उधार की सुविधा का संयोजन करने के उद्देश्य से आवश्यकतानुसार ग्रामीण बैंक, सहकारिता बैंकों और वाणिज्यक बैंको के कार्यो का समन्वय करना,

(घ) इस अधिनियम के अधिन अपराधों के सबंध में दायर होनेवाले तथा निपआये गये मामलों को संख्या पर नजर रखना,

(ड) इस अधिनियम के अधिन ऐसा कोई अपराध हुआ है या नहीं जिसका संज्ञान दिया जाना चाहिए, इसका सर्वेक्षण करना,

(च) मुक्त बंधक मजदूर या उसके परिवार के किसी सदस्य या उसके उपर निर्भर किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध किसी बंधक ऋण या उस व्यक्ति द्वारा बंधक ऋण के रूप में दावा किए जानेवाले किसी अन्य ऋण को सम्पूर्ण या आंशिक वसूली के लिए दायर किए गये किसी मुकदते का बचाव करना ।

निगरानी समिति के कर्त्तव्यों के सम्पादन के लिए उसकी बैइकें उतनी बार होगी, जितनी आवश्यक हो, किन्तु कम से कम दो माह में एक बार आवश्य होगी ।

(स0-13/बी0एल-3049/88
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-
(सरकार के सचिव)

अधिसूचना

एस0 ओ0 पटना, दिनांक:-

का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद - 348 के खंड - 3 के अधिन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

(स0-13/बी0एल-3049/88
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-
(सरकार के सचिव)